

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1569 /22-2, मुरादाबाद, दिनांक, अक्टूबर- 19 2015
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद मुरादाबाद में लोकोशेड सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग मुरादाबाद की पत्र संख्या-1216/14-1, दिनांक
14-10-2013

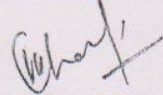
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हैं कि जनपद मुरादाबाद में परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण इकाई मुरादाबाद द्वारा एन0एच0-24 (मुरादाबाद-दिल्ली मार्ग) कि0मी0 155 से 156 के मध्य दो लेन उपरिगामी सेतु के चौड़ीकरण हेतु क्षेत्रफल 0.602 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें 128 वृक्ष तथा 03 पौधे (कुल 131 वृक्षों) का पातन निहित है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रभाव शासन को भेजा जाना हैं।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग मुरादाबाद द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

भवदीय,



(वी0 के0 चोपड़ा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद को आपको उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0 के0 चोपड़ा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।